



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 श्रावण 1947 (श10)  
(सं0 पटना 1411) पटना, शुक्रवार, 22 अगस्त 2025

सं0 एन0/जे0पी0को0स्था0-05/2021 गृ0वि0-779  
गृह विभाग  
(विशेष शाखा)

संकल्प  
21 अगस्त 2025

लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिनांक-18.03.74 से 21.03.77 तक की अवधि में हुए आन्दोलन में मीसा/डी0आई0आर0 के अन्तर्गत एक माह से छः माह तक कारा में निरुद्ध रहे आन्दोलनकारियों को 5000/- (पाँच हजार) एवं छः माह से अधिक अवधि के लिए 10000/- (दस हजार) तथा संदर्भित अवधि में उक्त कोटि के जेल में मृत एवं पुलिस फायरिंग में मारे गए व्यक्तियों के पति/पत्नी को 10000/- (दस हजार) एवं पुलिस फायरिंग में गोली से घायल व्यक्तियों को 5000/- (पाँच हजार) मासिक सम्मान पेंशन देने का राज्य सरकार का निर्णय संकल्प संख्या-524, दिनांक-15.07.2015 के द्वारा संसूचित है। उक्त संकल्प के अधीन इस योजना के तहत सभी प्रकार के पेंशनरों की मृत्यु के बाद उनके जीवित पति/पत्नी (Spouse) को भी उसी दर से पेंशन एवं अन्य सुविधाएँ देय हैं। तत्पश्चात् संकल्प सं0-580, दिनांक-08.11.2021 द्वारा उक्त पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर क्रमशः रू0 7,500/- (सात हजार पाँच सौ) एवं रू0 15,000/- (पन्द्रह हजार) किया गया।

2. वर्तमान परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त योजना के तहत देय पेंशन की दरों को युक्तिसंगत करते हुए इसमें आनुपातिक बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। इस वृद्धि के फलस्वरूप जिन पेंशनधारियों को रू0 7,500/- (सात हजार पाँच सौ) की दर से पेंशन अनुमत है उनका पेंशन बढ़कर रू0 15,000/- (पन्द्रह हजार) तथा जिन्हें रू0 15,000/- (पंद्रह हजार) की दर से पेंशन अनुमत है उनका पेंशन बढ़कर रू0 30,000/- (तीस हजार) हो जाएगा। तदनु रूप सभी कोटि के पेंशनरों के मृत्यु की दशा में उनकी जीवित पति/पत्नी (Spouse) को भी इस वर्द्धित दर से पेंशन देय होगा।

3. इस वर्द्धित दर पर पेंशन का भुगतान 01 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगा।
5. पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या-524, दिनांक-15.07.2015 की अन्य सुविधाएँ एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सतीश कुमार,  
सरकार के अवर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1411-571+100-डी0टी0पी0  
Website: : <https://egazette.bihar.gov.in>